(बिहार अधिनियम सं० 32, 1982)

# बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981

बिहार राज्य में मदरसा शिक्षा के विकास और बेहतर देख-रेख के निमित्त एक स्वायत्त बोर्ड के गठन का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ :—(1) यह अधिनियम बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 कहलाएगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 17 जनवरी 1981 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएँ :—जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में—

(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड;

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष;

(ग) "मदरसा" से अभिप्रेत है ऐसी शैक्षणिक संस्था जिसमें अरबी, फारसी तथा इस्लामी अध्ययन की व्यवस्था हो और जो बोर्ड द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त हो;

(घ) "प्रबंध समिति" से अभिप्रेत है मदरसा के प्रबंध हेतु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित समिति;

(ङ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली एवं विनियमावली द्वारा विहित;

(च) "विनियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गयी विनियमावली;

(छ) "नियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली;

(ज) "सचिव" से अभिप्रेत है बोर्ड का सचिव; तथा

(झ) "शिक्षक" से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त मदरसा के शिक्षण स्टाफ का कोई सदस्य और इसमें मदरसा का प्रधान भी सम्मिलित है ।

3. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना :—राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित नियत तारीख से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नामक एक बोर्ड स्थापित होगा (जिसे इसमें आगे "बोर्ड" कहा जाएगा), जिसका मुख्यालय पटना होगा तथा क्षेत्राधिकार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

4. बोर्ड का निगमन :—बोर्ड एक निगमित निकाय होगा और उसे शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुहर होगी और उसे संपत्ति के अर्जन, धारण और निबटान करने, संविदा करने और ऐसे अन्य सभी कार्य करने का हक होगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो तथा वह उक्त नाम से वाद चला सके और उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

5. बोर्ड का गठन :—बोर्ड के निम्नांकित सदस्य होंगे :—

(1) अध्यक्ष, जो इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(2) शिक्षा निदेशक, जो प्राच्य शिक्षा का प्रभारी हो—पदेन;

(3) निदेशक, अरबी एवं फारसी स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान, पटना—पदेन;

(4) प्राचार्य (प्रिंसिपल), मदरसा इस्लामिया शमशुल होदा, पटना—पदेन;

(5) अध्यक्ष, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना—पदेन;

(6) अध्यक्ष, बिहार शिया वक्फ बोर्ड, पटना—पदेन;

(7) बिहार विधान मंडल के तीन सदस्य, दो विधान-सभा से तथा एक विधान परिषद् से यथा विहित रीति से निर्वाचित;

(8) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित प्रस्वीकृत मदरसा के दो वरीय शिक्षक;

(9) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन अन्य सदस्य जो मदरसा शिक्षा अथवा इस्लामी अध्ययन में अभिरुचि रखते हों।

6. नाम निर्देशित सदस्यों की पदावधि :—(1) बोर्ड के नाम निर्देशित सदस्यों की पदावधि उनके नाम-निर्देशन की तारीख से तीन वर्षों की होगी और इसमें ऐसी अवधि भी शामिल होगी जो पदावधि के अवसान की तारीख और उक्त पदावधि के अवसान के कारण हुई रिक्ति की पूर्त्ति के लिये नाम निर्देशन की तारीख के बीच बीते।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पदावधि की समाप्ति होने पर बोर्ड का कोई सदस्य तीन वर्षों से अनधिक पदावधि के लिये पुनः नाम निर्देशित किया जा सकेगा किन्तु दो पदावधियों से अधिक के लिये नाम निर्देशन का पात्र नहीं होगा।

7. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य :—(1) अरबी, फारसी एवं इस्लामी अध्ययन, तथा व्यावसायिक विषय सहित ज्ञान की अन्य ऐसी शाखाओं, जो बोर्ड उचित समझे, में शिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना और मदरसा शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना बोर्ड का कर्तव्य होगा।

(2) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गयी नियमावली एवं विनियमावली के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को मदरसा शिक्षा के निदेशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति होगी और विशेषतः उसे निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(क) इसके निमित्त बोर्ड द्वारा बनाई गयी विनियमावली के अनुसार मदरसों को मान्यता प्रदान करना।

(ख) इसके निमित्त बोर्ड द्वारा बनाई गई विनियमावली के अनुसार मान्यता प्राप्त मदरसों की मान्यता वापस लेना तथा ऐसे मदरसों को मदरसा शिक्षा निधि से कोई अनुदान नहीं देना।

(ग) मदरसों का रजिस्टर रखना।

(घ) मदरसा में अध्ययन के लिये तथा बोर्ड द्वारा चलायी गयी परीक्षाओं के लिये पाठ्य विवरण, पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों को विनियमावली द्वारा विहित करना।

(ङ) इस निमित्त उपलब्ध साधनों के तहत मदरसा में व्यवहार के लिये पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों का निर्माण, प्रकाशन एवं विक्रय हाथ में लेना।

(च) मदरसा में उपयोग के लिए तथा बोर्ड द्वारा चलायी गयी परीक्षाओं के लिये पुस्तकों की सूची रखना तथा प्रकाशित करना तथा ऐसी सूची से किसी पुस्तक का नाम हटाना।

(छ) विभिन्न मदरसा परीक्षाएँ तथा वैसी अन्य परीक्षाएँ संचालित करना जो वह उचित समझे तथा इस निमित्त विनियमावली बनाना।

(ज) बोर्ड द्वारा चलाई गयी परीक्षाओं का फल प्रकाशित करना, तथा उसके संबंध में डिप्लोमा-प्रमाण-पत्र, पारितोषिक तथा छात्रवृत्ति प्रदान करना।

(झ) बोर्ड द्वारा चलायी गई परीक्षाओं के संबंध में नियोजित प्राविनकों, अनुसीमकों (मोडरेटरों), सारणीकारों (टेबुलेटरों), परीक्षकों, वीक्षकों, केन्द्र अधीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये पारिश्रमिक की दर तथा परीक्षार्थियों द्वारा ऐसी परीक्षाओं के लिए चुकाई जाने वाली फीस की दर निर्धारित करना।

(ञ) परीक्षार्थियों को बोर्ड द्वारा चलाई गई परीक्षा में बैठने की अनुमति देना या अनुमति देने से इन्कार करना या वापस लेना यदि वह इस निमित्त बनाई जाने वाली विनियमावली के अनुसार ठीक समझे ।

(ट) मदरसा शिक्षा निधि का प्रबंध करना ।

(ठ) नियमों द्वारा यथाविहित भविष्य निधि की स्थापना और प्रबंध करना ।

(ड) बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियमावली बनाना ।

(ढ) मदरसों की प्रबंध समिति का गठन इस रूप में कराना कि सदस्य के रूप में मदरसा के प्रधान मौलवी, दो अनुदायी प्रतिनिधि, एक शिक्षक प्रतिनिधि, दो अभिभावक प्रतिनिधि एवं बोर्ड के एक नाम निर्देशिती के अलावा इन सात सदस्यों द्वारा सहवाचित दो अन्य सदस्य रहें जिन्हें मदरसा शिक्षा तथा इस्लामी अध्ययन में अभिरुचि हो ।

प्रबंध समिति को विघटित करने की शक्ति बोर्ड में निहित होगी ।

(ण) नियमावली में यथाविहित रीति से शैक्षिक समिति, प्रस्वीकृति समिति, परीक्षा समिति एवं वित्त समिति गठित करना और बोर्ड के समुचित एवं सफल कार्य संपादन के लिए बोर्ड जैसा उचित समझे अन्य समितियों अथवा उप-समितियों को गठित करना ।

(त) राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए बोर्ड के आय-व्यय का वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना ।

(थ) अन्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से मदरसा शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं परिचर्या शिविर का उपबंध करना ।

(द) इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के निमित्त विनियमावली बनाना ।

(ध) नियमावली द्वारा यथाविहित बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का सृजन करना ।

(न) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को सौंपे जायें ।

8. बोर्ड के पदाधिकारी :—बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

(1) अध्यक्ष,

(2) सचिव,

(3) वित्त पदाधिकारी,

(4) परीक्षा नियंत्रक, और

(5) ऐसे अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के पदाधिकारी घोषित हों।

9. नाम निर्देशित सदस्यों का हटाया जाना :—(1) राज्य सरकार इस प्रेरणा से अथवा बोर्ड की अनुशंसा पर किसी नाम निर्देशित सदस्य को अपने पद से हटा सकेगी यदि वह किसी ऐसे आचरण का दोषी पाया गया है, जो राज्य सरकार के विचार में उसे सदस्य के रूप में बने रहने के अयोग्य बनाता हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश तबतक नहीं दिया जायगा जब तक उक्त सदस्य को उन विनिर्दिष्ट आधारों को जिस पर वैसी कार्रवाई करना प्रस्तावित हो विनिर्दिष्ट करते हुए सूचना देकर प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

10. अध्यक्ष :—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और कार्यभार ग्रहण की तिथि से वह तीन वर्षों से अनधिक कालावधि राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा। उक्त कालावधि की समाप्ति पर तीन वर्षों से अनधिक कालावधि के लिए उसकी पुनर्नियुक्ति हो सकेगी किन्तु दो पदावधियों से अधिक के लिए नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(2) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु कोई व्यक्ति तबतक योग्य नहीं समझा जायेगा जबतक कि वह केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव न रखता हो अथवा वह स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्था में न्यूनतम दस वर्षों का शिक्षण अथवा शोध का अनुभव न रखता हो अथवा जो अरबी, फारसी अथवा इस्लामी अध्ययन में ख्याति प्राप्त विद्वान न हो और मदरसा शिक्षा में अभिरुचि न रखता हो।

(3) अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अवधारित उपलब्धियां (इमोल्यूमेंट्स) पायेगा और उसकी नियुक्ति के अन्य नियंधन एवं शर्तें वे ही होंगी जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

11. अध्यक्ष का हटाया जाना :—(1) यदि किसी समय और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक समझी जाय, और राज्य सरकार को प्रतीत हो कि अध्यक्ष—

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी कर्त्तव्य के पालन में असफल रहा है, या

(ख) ऐसी रीति से कार्य किया है जो बोर्ड के हित के प्रतिकूल है, या

(ग) कदाचार के लिये दोषी है, तो राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि अध्यक्ष की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, अध्यक्ष को एक माह की लिखित नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन देकर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से अपने पद से हटा सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पारित किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसा समझा जाएगा कि अध्यक्ष ने अपने पद का त्याग कर दिया है और अध्यक्ष का पद रिक्त समझा जाएगा ।

12. अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान कार्य-व्यवस्था :—छुट्टी, बीमारी या किसी अन्य कारणों से अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान शिक्षा निदेशक (प्राच्य शिक्षा के प्रभारी) के लिये अध्यक्ष की ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और उनके ऐसे कर्तव्यों का पालन करना विधिपूर्ण होगा जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें ।

13. अध्यक्ष की शक्तियाँ और उनके कृत्य :—(1) अध्यक्ष बोर्ड का प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक पदाधिकारी होगा और वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु अध्यक्ष प्रथमतः मतदान नहीं करेगा, लेकिन मतों की संख्या बराबर होने पर उसे निर्णायक मताधिकार होगा, और वह उसका प्रयोग करेगा ।

(2) अध्यक्ष को इस अधिनियम और इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली के उपबन्धों के रहते हुए बोर्ड के लिये स्वीकृत श्रेणी और वेतन-मान के भीतर, तथा अनुसचिवीय कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों को स्वीकृत पद संख्या के भीतर, शिक्षकों और बोर्ड के पदाधिकारियों के पदों से भिन्न पदों पर, नियुक्ति करने की शक्तियाँ होंगी और उसे ऐसे कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं पूर्ण अनुशासनिक शक्तियाँ होंगी ।

(3) अध्यक्ष मदरसा एवं बोर्ड से संबद्ध अन्य संस्थाओं का परिदर्शन (विजिट) और निरीक्षण कर सकेगा अथवा ऐसे व्यक्तियों से निरीक्षण करवा सकेगा जिन्हें वह इसके लिये प्राधिकृत करें ।

(4) जब बोर्ड सत्र में हो उस स्थिति से भिन्न स्थिति में, यदि किसी समय अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि ऐसी आपातिक स्थिति आ चुकी है जिसमें उसे ऐसी कार्रवाई करना अपेक्षित है, जिसमें इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बोर्ड में निहित किसी शक्ति का प्रयोग अन्तर्ग्रस्त हो, तो अध्यक्ष ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह उचित समझे, और वह अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट बोर्ड की अगली बैठक में पेश करेगा ।

(5) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह देखे कि बोर्ड की कार्यवाही इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली के उपबंधों के अनुसार चलायी जाती है और अध्यक्ष ऐसी प्रत्येक कार्यवाही की रिपोर्ट पुनर्विचार के लिये बोर्ड को करेगा जो ऐसे उपबन्धों के अनुरूप न हो। यदि अध्यक्ष देखता है कि बोर्ड द्वारा पुनर्विचार के बाद भी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है तो उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को करेगा, और जबतक अध्यक्ष की रिपोर्ट पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त न हो जाय तबतक रिपोर्ट की गई कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष की होगी।

(6) अध्यक्ष ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली द्वारा उसपर अधिरोपित हो अथवा उसमें विहित हो।

14. सचिव :—(1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए बोर्ड का सचिव अध्यक्ष की सलाह से वैसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, नियुक्त किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए सचिव बोर्ड का प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी होगा और उसे बोर्ड की बैठकों की कार्यवाही को दर्ज करने की जिम्मेवारी होगी।

15. वित्त पदाधिकारी :—वित्त पदाधिकारी पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और अध्यक्ष की सलाह से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह वित्त समिति के सचिव के रूप में काम करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो विहित हो अथवा बोर्ड अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे आवंटित अथवा अधिरोपित किये जायें।

16. परीक्षा नियंत्रक :—परीक्षा नियंत्रक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा और अध्यक्ष की सलाह से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो विहित हो अथवा बोर्ड अथवा अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर आवंटित अथवा अधिरोपित किये जायें।

17. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा निधि का गठन :—बोर्ड की एक निधि होगी जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा निधि के नाम से पुकारी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित राशियाँ आकलित की जाएँगी :—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को चुकाई गई सभी राशियाँ ;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन उगाही गई सभी फीसें;

(ग) बोर्ड द्वारा स्वाधिकृत या प्रबंधित सम्पत्तियों से हुई आयस्वरूप सभी राशियाँ; तथा

(घ) अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी राशियाँ, विन्यास एवं प्रतिभू।

18. बिहार राज्य मदरसा शिक्षा निधि का उपयोग—(1) राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली के अध्यधीन राज्य मदरसा शिक्षा निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जा सकेगा—

(क) राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों के अनुमोदित शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का भुगतान;

(ख) बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते तथा बोर्ड की स्थापना की अन्य लागत का भुगतान;

(ग) मान्यता प्राप्त मदरसा की स्थापना से संबद्ध ऐसे मदों का खर्च जो राज्य सरकार या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अनुमोदित करे;

(घ) मान्यता प्राप्त मदरसों से संबंधित कोई ऐसा सन्निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत जो राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा मंजूर हो;

(ङ) किसी मान्यता प्राप्त मदरसा के लिए ऐसी भूमि के अर्जन हेतु जिसके लिए राज्य सरकार या बोर्ड की सम्यक मंजूरी मिल चुकी है;

(च) मान्यता प्राप्त मदरसा के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों और बोर्ड के भी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंशदान का भुगतान; तथा

(छ) मदरसा शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य खर्चों का भुगतान जो समय-समय पर राज्य सरकार अथवा बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय को छोड़कर कोई भी अन्य व्यय निधि से तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि वह व्यय इस अधिनियम के अधीन अनुमोदित बजट में उपबंधित नहीं हो अथवा उसकी पूर्ति विहित रूप से मंजूर पुनर्विनियोग द्वारा न की जा सकती हो।

19. लेखा—बोर्ड अपनी आय और व्यय का लेखा विहित रीति से रखेगा।

20. संपरीक्षा—बोर्ड के लेखे की परीक्षा एवं संपरीक्षा राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से की जाएगी।

21. संपरीक्षा रिपोर्ट :—(1) संपरीक्षक, संपरीक्षण पूरा करने के बाद संपरीक्षित लेखा के संबंध में रिपोर्ट राज्य सरकार को समर्पित करेगा और उसकी

एक प्रति बोर्ड को भी भेजेगा और बोर्ड उसे अपनी अभ्युक्तियों के साथ राज्य सरकार को भेज देगा।

(2) राज्य सरकार संपरीक्षण रिपोर्ट पर ऐसे निदेश देगा जो वह उचित समझे और बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसका अनुपालन करे।

22. बोर्ड द्वारा जानकारी का दिया जाना :—बोर्ड राज्य को यथाविहित अन्य अपेक्षित रिपोर्ट, विवरणी और विवरण तथा बोर्ड के संबंध में यथापेक्षित अन्य जानकारी भी देगा।

23. बोर्ड की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना :—इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र बोर्ड में किसी सदस्य का पद रिक्त होने के कारण ही अविधिमान्य न होगी।

24. शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवाएँ :—मान्यता प्राप्त मदरसों में अनुमोदित शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवाएँ बोर्ड के पर्यवेक्षण में रहेंगी। उनकी सेवाओं का नियंत्रण इस अधिनियम के अधीन तथा विहित विनियमों के अध्यधीन बोर्ड या मदरसा द्वारा किया जायगा। बोर्ड के पूर्वानुमति के बिना मदरसों के शिक्षकों को न तो पदच्युत किया जा सकेगा और न उनकी सेवा समाप्त ही की जा सकेगी।

25 शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया :— राज्य सरकार बोर्ड की सलाह से मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षक के पदों पर अर्हता एवं वरीयता के आधार पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिये शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियम और प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

26. नियमावली बनाने की राज्य सरकार की शक्तियाँ :—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित किन्हीं या सभी विषयों का उपबंध किया जा सकेगा—

(क) बोर्ड द्वारा संपत्ति का अर्जन, धारण और निपटाव तथा ऐसे अर्जन धारण तथा निपटाव की शर्तें;

(ख) धारा 5 में विनिर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों के नाम निर्देशन की रीति;

(ग) मदरसा की प्रबंध समिति के गठन, शक्तियाँ और कृत्य;

(घ) बोर्ड के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति के निबंधन और शर्तें, वेतनमान, अनुशासन, नियम तथा अन्य सेवा शर्तें;

(ङ) बोर्ड का बजट प्राक्कलन तैयार करने का प्रपत्र (फारम);

(च) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा निधि में रकम जमा करने तथा निकालने की रीति;

(छ) धारा 18 (2) के अधीन पुनर्विनियोग की रीति;

(ज) आय-व्ययक लेखा रखने की रीति और प्रपत्र (फारम);

(झ) बोर्ड के लेखा की परीक्षा-संपरीक्षा की रीति;

(ञ) बोर्ड द्वारा दी जानेवाली रिपोर्ट, विवरणी और विवरण एवं वैसी रिपोर्ट, विवरणी और विवरण का प्रपत्र;

(ट) मान्यता प्राप्त मदरसा के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तें;

(ठ) मदरसा की प्रस्वीकृति की शर्त्त और प्रक्रिया; और

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय जो नियमावली द्वारा बनाना, विहित या उपबंधित करना अपेक्षित हो।

इस धारा के अधीन बनाया गया हरेक नियम बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 14 दिन के चालू सत्र की अवधि में जो एक ही सत्र या लगातार सत्रों में पड़ सकती है, रखा जायगा, और यदि जिस सत्र में वह नियम इस तरह रखा जाय, उसकी या उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पहले दोनों सदन इस नियम में कोई रूपभेद करने के लिये सहमत हों अथवा दोनों सदनों का यह मत हो कि वह नियम नहीं बनाया जाय, तो उसके बाद वह नियम यथास्थिति, इस प्रकार रूपभेदित रूप में प्रभावी या प्रभावहीन हो जायेगा, किन्तु ऐसे किसी रूपभेद या प्रभावहीनता (रद्दगी) से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी काम की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

27. निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्तियां :—(1) इस अधिनियम तथा इसके उपबंधों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार बोर्ड को कोई ऐसा निदेश दे सकेगी जो आवश्यक मालूम हो।

(2) राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि बोर्ड जो कुछ कार्य कर चुका हो या कर रहा हो अथवा करना चाहता हो या करना आवश्यक हो, उसके संबंध में बोर्ड को संबोधित करे और उस विषय में अपना विचार बोर्ड को संसूचित करे।

(3) राज्य सरकार से ऐसा निदेश या संसूचना प्राप्त होने पर बोर्ड राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा कि उसने क्या कार्रवाई की है या करना चाहता है, और यदि वह आवश्यक कार्रवाई करने में असफल रहा हो तो बोर्ड इस संबंध में राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देगा।

(4) बोर्ड द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद अथवा युक्तियुक्त समय के भीतर स्पष्टीकरण देने में असफल रहने पर राज्य सरकार ऐसा निदेश जारी कर सकेगी जो उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

28. बोर्ड के आदेश के विरुद्ध अपील :—बोर्ड अथवा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिये गए आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति या प्रबंध समिति आदेश निर्गत होने की तिथि से 60 (साठ) दिनों के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिये अपील कर सकेगा ।

29. बिहार मदरसा परीक्षा बोर्ड का विघटन :—(1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन बोर्ड के स्थापित होने की तारीख से बिहार मदरसा परीक्षा बोर्ड विघटित हो जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा प्रयुक्त शक्तियों और संपादित कर्त्तव्य इस अधिनियम द्वारा स्थापित बोर्ड के द्वारा प्रयुक्त और संपादित किये जायेंगे ।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व बिहार मदरसा परीक्षा बोर्ड के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संस्थित या प्रवर्त्तनीय सभी वैधिक कार्यवाहियां या उपचार इस अधिनियम के अधीन स्थापित, यथास्थिति बोर्ड या उसके अन्य कर्मचारियों द्वारा या उनके विरुद्ध जारी रखे या प्रवर्तित किये जायेंगे ।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व से बिहार मदरसा परीक्षा बोर्ड में नियोजित सभी पदाधिकारी जिसमें सहायक शिक्षा निदेशक (इस्लामिक) का कार्यालय भी शामिल होगा, जबतक कोई अन्यथा उपबंध न हो, इस अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्ड की सेवा में समझे जायेंगे ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मान्यता वापस लेने की बोर्ड की शक्ति के अधीन रहते हुए, मान्यता अवधि की समाप्ति तक सभी मान्यता-प्राप्त मदरसा इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त समझे जायेंगे ।

(5) सभी पाठ्य विवरण (सिलेबस), पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें, जबतक अन्यथा उपबन्ध नहीं किया जाय, इस अधिनियम के अधीन साधू माने जायेंगे ।

30. अस्थायी और शैक्षणिक उपबन्ध :—जबतक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड का पूर्ण गठन नहीं हो जाता है तबतक अध्यक्ष और पदेन सदस्य से बोर्ड का गठन होगा ।

31. कठिनाई दूर करने की राज्य सरकार की शक्ति :—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई हो तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा अधिनियम दे सकेगी या ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो ।

32. निरसन और व्यावृत्ति :—(1) बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यादेश, 1981 (बिहार अध्यादेश संख्या 53, 1981) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या की गई कार्रवाई समझी जायगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी ।

अ० र० किदवई,
बिहार राज्यपाल